राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी

नेहा गिरि I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
10/2016	08.06.2016	09.06.2017

1. श्री दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जी राजपुत निवासी रायपुर, तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जी राजपुत निवासी रायपुर, तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

:– प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री भगवत सिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जी राजपुत निवासी रायपुर, तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. श्री संरपंच महोदय ग्राम पंचायत रायपुर पंचायत समिति, अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री सचिव ग्राम पंचायत रायपुर पंचायत समिति, अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध बापी पट्टा विलेख क्रमांक 06 दिनांक 24.04.2016 द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर

1. श्री शरदकुमार चिप्पड़ अधिवक्ता निगरानीकार/प्रार्थीगण
2. श्री पारसमल जैन अधिवक्ता विपक्षी/अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 09.06.2017

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/निगरानीकार द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध बापी पट्टा विलेख क्रमांक 6 दिनांक 24.04.2016 द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम रायपुर के खाता संख्या 380 में प्रार्थीगण एवं विपक्ष संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमियों के मध्य स्थित आबादी भूमि आराजी संख्या 906 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि/भूखण्ड पर प्रार्थीगण एवं विपक्ष संख्या 1 के दिवन्गत पिता श्री ईथवरसिंह जी जीवन्तकाल से कब्जा होकर मकान/निवास गृह बना रखा था जो विगत समय में क्षत–विक्षत होकर गिर चुका है मौके पर केवल भूखण्ड अवस्थित है। हमारे पिता श्री का स्वर्गवास दिनांक 20.11.1971 को हो गया तथा हमारी माता सव. श्रीमती रूपकुंवर पत्नि श्री ईथवरसिंह जी का भी देहवासन हो चुका है। श्री ईश्वरसिंह का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

श्री ईश्वरसिंह जी (फौत)

|

रघुवीर सिंह	भगवतसिंह	दुष्यन्तसिंह	घनश्यामसिंह	अनुराधा	सुनीला	मंजुला
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्री

जिससे उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण एवं विपक्ष संख्या 1 के अलावा हमारे अन्य रक्त संबंधियों का भी हक–हिस्सा रहते हुए हम प्रार्थीगण के नौकरी पेशारत रहते हुए ग्राम से बाहर निवासरत है तथा यदाकदा हमारी खेतीबाड़ी की देखरेख एवं साज संभाल हेतु ग्राम में आकर अपने पिता के पैतृक मकान में निवास करते चले आए है। विगत समय में विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 से मिली भगत कर उक्त भूमि/भुखण्ड का एक बापी पट्टा दिनांक 24.04.2016 को प्राप्त कर लिया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्राप्त होते ही वांछित नकले प्राप्त कर निम्नांकित आधारों पर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

1. यह कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.03.2016 को सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर के समक्ष आबादी भूमि आराजी संख्या 906 रकबा 0.02 है. हमारी पुश्तैनी भूमि पर बापी पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी युक्ति–युक्त जांच किये दिनांक 05.04.2016 को जरिये प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा 3 पंचों की कमेटी का गठन कर सचिव ग्राम पंचायत को मौके पर जाकर नक्था बनवाने हेतु निर्देथित करते हुए आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव ले लिया गया।
2. यह कि विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पुनः दिनांक 20.04.2016 को ग्राम पंचायत द्वारा आहुत बैठक के दौरान लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 05.04.2016 को लिए गए प्रस्ताव क्रमांक 3 के आधार पर गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत नक्थे के अनुकूल मानते हुए 62 X 42 = 2604 वर्गफीट के बजाय कार्यालय टिप्पणी में 62 X 42 के स्थान पर 51 X 42 = 2142 वर्गफीट दर्ज करते हुए अर्थात मनमाफीक कांट छांट की जाकर का बापी पट्टा जारी करने हेतु आवेदक विपक्षी संख्या 1 से 10/– रूपये के स्टाम्प पर शपथपत्र प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेप आमंत्रित किये जाने का निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत के नोटीस बोर्ड पर सूचना पत्र चस्पा करने का प्रस्ताव पारीत किया गया।
3. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.2016 को साधारण सभा में आवेदक/विपक्षी संख्या 1 के बापी पट्टा मौका रिपोर्ट हेतु निर्धारित 3 पंचों की कमेटी के स्थान पर 2 पंचों की रिपोर्ट को शामील पत्रावली किया गया जबकि वास्तविकता यह रही की किसी के भी द्वारा मौके की वास्तविक जांच नहीं की गई जिसके तथ्यांकंन मौका रिपोर्ट देखने से स्पष्ट हो जाता हैं
4. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.2016 को पारीत प्रस्ताव अनुसार बापी पट्टा जारी करने से पूर्व एक माह की अवधि में आक्षेप प्राप्त करने हेतु निर्णय लिया जाना दर्थित किया जिसके विपरित ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक से बिना किसी शुल्क राथि को जमा कराये ही दिनांक 24.04.2016 को विवादित पट्टा जारी कर दिया गया।
5. यह कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेथ दिनांक 01.11.2014 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टों को विकास अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य रहा था।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी विवादित बापी पट्टा दिनांक 24.04.2016 को निरस्त किये जाने का आदेथ प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधिनस्थ से मूल पत्रावली तलब की गई जिस पर अप्रार्थीगण की बाद सूचना तामिल रिपोर्ट अप्रार्थीगण कि ओर से वकील श्री पाससमल जैन द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत करते हुए दिनांक 26.09.2016 को जवाब निगरानी प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है तथा अधिनस्थ से रिकार्ड पत्रावली प्राप्त हो रिकार्ड पर रखी गई।

पत्रावली विविध तारीख पेथियों उपरान्त दिनांक 07.06.2017 को वास्ते बहस अन्तिम हेतु प्रस्तुत हुई। वकुलाय पक्षकार उपस्थित बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये गये कि ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 906 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 24.04.2016 को जारी बापी पट्टा विलेख पूर्ण रूप से मिथ्या एवं फर्जी तरीके से जारी किया गया है। क्योंकि उक्त आबादी भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 तथा अन्य के पिता स्व. श्री ईश्वर सिंह जी के कब्जे तथा पैतृक निवास की भूमि रही है।

जिसके आधार पर उक्त भूमि में केवल विपक्षी संख्या 1 का स्वतंत्र हक हिस्सा नहीं होने से उसके द्वारा दिनांक 22.03.2016 को प्रस्तुत बापी पट्टा आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत रायपुर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 05.04.2016 को जरिये प्रस्ताव संख्या 3 के मार्फत् बिना किसी विधिक अधिकारों की जांच किये ही विपक्षी संख्या 1 का आवेदन स्वीकार करते हुए बापी पट्टा जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। तथा इसी कम में दिनांक 20.04.2016 को अग्रिम कार्यवाही करते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में बापी पट्टा जारी किया गया।

जबकि उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कोई भवन पूर्व से स्थापित नहीं था। फिर भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा 62 X 42 = 2604 वर्गफीट का बापी पट्टा चाहे जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर आवेदक द्वारा प्रस्तावित नक्थे में मनमाफिक परिवर्तन कर 62 ग 42 के बजाय 51 x 42 = 2142 वर्गफीट का बापी पट्टा बिना किसी शुल्क जमा कराये जारी करने का निर्णय लेते हुए बापी पट्टा जारी करने हेतु की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाहियों अन्तर्गत आक्षेप सूचना पत्र हेतु दिनांक 20.04.2016 को निर्णय लिया जाकर उक्त सूचना पत्र प्रस्तावित स्थल के बजाय ग्राम पंचायत भवन पर ही चस्पा कर नियत अवधि एक माह का पालन नहीं करते हुए केवल चार दिवस के भीतर ही सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर दिनांक 24.04.2016 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में बापी पट्टा जारी कर दिया गया।

जबकि मौके पर किसी प्रकार का भवन निर्मित नहीं था। और ना ही इस तथ्य की जानकारी सूचना सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई गई। ग्राम पंचायत द्वारा केवल अपने कार्यालय में बैठ कर कार्यालय टिप्पणी पर ही समस्त कार्यवाहियां दर्शित करते हुए मनमाफिक कांट–छांट की जाकर अवैधानिक बापी पट्टा जारी किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी निगरानीकार/प्रार्थीगण रिकार्ड एवं दस्तावेजी आधार पर स्वीकार फरमाई जावे तथा विवादित बापी पट्टा कमांक 6 दिनांक 24.04.2016 को निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

इसी कम में दौराने बहस वकील विपक्षी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए तथा प्रस्तुत जवाब निगरानी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी बापी पट्टा समुचित कार्यवाही के आधार पर जारी किया गया है। विवादित पट्टे में वर्णित आबादी भूमि विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी के मध्य स्थित होकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में बने पैतृक मकान में निवासरत रहते दिनांक 22.03.2016 को बापी पट्टे हेतु आवेदन किया गया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् स्वीकार करते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 24.04.2016 को जो पट्टा जारी किया गया जो वैधानिक है।

यद्यपि प्रार्थीगण को इस संबंध में कोई आपत्ति रही हो तो उनके द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं पट्टा आदेश के विरूद्ध सक्षम अपीलीय अधिकारी विकास अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रतापगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना था। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा सीधे ही श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाणिकार से परे होने से काबिले खारीज है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र विकास

अधिकारी अरनोद के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया जिसके जैरे कार्यवाही रहते हुए प्रार्थीगण इस स्तर पर कोई कार्यवाही संचालित करने का कोई अधिकार नहीं रखते है।

इस संबंध में विपक्षीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 दिवानी प्रकिया संहिता 1908 के तहत भी श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा विकास अधिकारी अरनोद के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विपक्षीगण संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 01.06.2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहते हुए श्रीमान न्यायालय में कार्यवाही संस्थित किया जाना न्याय एवं नियमों के विपरीत रहा है।

साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के जिस आदेश दिनांक 01.11.2014 का हवाला देते हुए उक्त बापी पट्टा विलेख को विकास अधिकारी से अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य बताया है। किन्तु राज्य सरकार का उक्त आदेश दिनांक 01.11.2014 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2015 से विड्रा किया जा चुका था। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारीज किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी बापी पट्टा विलेख को यथावत बहाल रखा जावे। तथा अपनी बहस के समर्थन में एक न्यायिक विनिश्चय 1997 DNJ (Raj.) 751 का हवाला भी प्रस्तुत किया गया।

इसी प्रक्रम में वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा निगरानी प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 दीवानी प्रकिया संहिता के कम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 30.03.2017 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय (कार्यालय पंचायत समिति अरनोद) के समक्ष कोई कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन नहीं होना दर्शित किया गया है। जिसके आधार पर विपक्षीगण/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्ध योग्य नहीं रहा है।

साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत की गई है। जिसके अन्तर्निहित प्रावधानों अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत अथवा पंचायतीराज संस्था द्वारा पारित संकल्प/प्रस्ताव/आदेथों के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा आक्षेप विहित किये जा सकते है और इसका क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर में पूर्णरूप से निहित है। जिससे प्रकरण की सुनवाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है।

साथ ही अपनी बहस के समर्थन में एक न्यायिक विनिश्चय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर 2017 (2) DNJ (Raj.) 668 का हवाला प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि धारा 97 के तहत जिला कलक्टर को किसी भी पंचायतीराज संस्था की कार्यवाही के विरूद्ध श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत निगरानी मेमों दिनांक 31.05.2016, जवाब विपक्षीगण निगरानी दिनांक 26.09.2016, प्रार्थना पत्र धारा 10 दिवानी प्रकिया संहिता दिनांक 13.02.2017, बापी पट्टा विलेख कमांक 06 दिनांक 24.04.2016, पट्टा पंजियन विलेख दिनांक 18.05.2016, मिसल संख्या 13/2016–17 में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.03.2016, कार्यालय टिप्पणी विवरण ग्राम पंचायत रायपुर दिनांक 05.04.2016, 20.04.2016 एवं नोटिस प्रारूप 22 दिनांक 20.04.2016 , शपथ पत्र दिनांक 16.05.2016, आदेथ प्रति दिनांक 01.11.2014, 09.03.2015, नकल जमाबंदी आबादी भूमि आराजी संख्या 906 संवत् 2066–2069 के साथ–साथ रिकॉर्ड पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर 2017 (2) DNJ (Raj.) 668 तथा वकील विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय प्रति 1997 DNJ (Raj.) 751 के साथ–साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित समस्त विधियों के साथ गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन की रोथनी एवं पत्रावली के प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन अध्ययन किये जाने से ज्ञात होता है कि पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार जिला कलक्ट्रर को स्पष्ट रूप से अभिप्राप्त है जिससे वकील विपक्षी का आक्षेप निराधार होने से अमान्य किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र धारा 10 दिवानी प्रक्रिया संहिता के क्रम में विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 30.03.2017 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई विचाराधीन नहीं होने से विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र धारा 10 दि.प्र.संहिता स्वतः निरस्त योग्य है।

प्रकरण में ग्राम रायपुर की आबादी भूमि आराजी संख्या 906 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के स्वर्गवासी पिता श्री ईश्वर सिंह जी के कब्जे की भूमि होकर श्री ईश्वर सिंह जी समस्त जायन्दा संतानों के संयुक्त रूप से हक हिस्से की भूमि रही है।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.03.2016 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त भूमि (प्लॉट) का पुश्तैनी पट्टा दिलाया जावे। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.04.2016 एवं दिनांक 20.04.2016 को ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यवाही विवरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवेदित भूमि में कोई पैतृक निवासगृह अवस्थित नहीं था। तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी बापी पट्टा विलेख हेतु की गई कार्यवाहियों अन्तर्गत निम्नांकित आक्षेप पूर्ण रूप से प्रमाणित होते है।

1. यह कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा बापी पटटा हेतु आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण अथवा पैतृक मकान अवस्थित नहीं था। जिसकी पुष्टि स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22.03.2016 से तथा बापी पट्टा पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 16.05.2016 के साथ–साथ ग्राम पंचायत की कार्यालय विवरण टिप्पणी दिनांक दिनांक 05.04.2016 तथा 20.04.2016 से प्रमाणित होता है।
2. यह कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी बापी पट्टा विलेख दिनांक 24.04.2016 हेतु ग्राम पंचायत रायपुर (विपक्षी संख्या 2 व 3) द्वारा की गई कार्यवाहियों अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.2016 को लिये निर्णय अनुसार प्रारूप 22 का सूचना पत्र आवेदित भूमि के बजाय केवल ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर ही चस्पा किये जाने का तथ्यांकन अपनी कार्यालय टिप्पणी में किया गया है। जबकि पंचायतीराज अधिनियम 1994 नियम 1996 के नियम 148 के अनुसार प्रारूप 22 का प्रकाथन आवेदित भूमि मकान के संदृष्य स्तर पर किया जाकर चस्पांकन तस्दीक हेतु किन्हीं स्वतंत्र पक्षकारान के हस्ताक्षर पृष्ठांकन कराये जाने के प्रावधान विहित है। जिसकी पालन किया जाना दर्शित रिकार्ड नहीं हुआ है।
3. यह कि पंचायतीराज अधिनियम 1994 नियम 1996 के नियम 148 विहित प्रावधानों अनुसार किन्हीं भी बापी पट्टा आवेदनों के निस्तारण हेतु ज्ञापित सूचना पत्र प्रारूप 22 के प्रकाथन दिनांक से एक माह की अवधि तक आक्षेप आमंत्रित किये जाते है तथा सूचना आक्षेप प्रकाथन प्रारूप 22 का प्रकाथन आवेदित भूमि/मकान के संदृष्य स्थल पर चस्पांकन किये जाने की तस्दीक हेतु दो स्वतंत्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर तथ्यांकन हेतु प्राप्त करने के प्रावधान विहित रहे है। जिसका पालन प्रकरण संख्या 13/2016–17 में किया गया हो स्पष्ट अभाव रहा है तथा नियम 157 से 159 अन्तर्गत जारी किये जाने वाले बापी पट्टा विलेखों की आवश्यक शर्त है कि आवेदित भूमि पर पैतृक मकान निर्मित अवस्था में हो तथा आवेदित पट्टा विलेख के साथ वांछित पट्टा शुल्क पत्रावली पर जमा किये जाने उपरान्त ही पट्टा जारी किया जाता है। जबकि प्रकरण में की गई कार्यवाहियों अन्तर्गत पट्टा विलेख शुल्क राशि किस रसीद संख्या से जमा की गई का अभाव रहा है। तथा जारी पट्टा विलेख दिनांक 24.04.2016 को जारी कर दिया तथा शुल्क राशि दिनांक 17.05.2016 को अभिप्राप्त किये जाने का अंकन बापी पट्टे पर किया गया है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र भी आवेदन के साथ ही प्रस्तुत किया जाना होता है किन्तु प्रथनगत प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र भी बापी पट्टा जारी

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

दिनांक 24.04.2016 के पश्चात दिनांक 16.05.2016 को शामील पत्रावली किये जाने के भी स्पष्ट प्रमाण मिले है।

4. यह कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी बापी पट्टा विलेख दिनांक 24.04.2016 की समुचित कार्यवाही दिनांक 05.04.2016 को प्रारम्भ कर मात्र 20 दिवस में समस्त कार्यवाहीयां परिपूर्ण कर ली गई जबकि उक्त अवधि में कोई अभियान भी संचालित नहीं रहा था। साथ ही जारी बापी पट्टा विलेख के अन्तर्गत आवेदक द्वारा बापी पट्टे हेतु आवेदीत भूमि साईज 62 X 42 = 2604 को पत्रावली में कांट–छांट की जाकर 51 X 42 = 2142 वर्गफीट किये जाने के कारणों के संबंध में कोई पूष्टि रिपोर्ट अथवा तथ्यांकन विपक्षीगण द्वारा किसी भी दस्तावेज में नहीं किया जाना भी विवादित विषय रहा है। जिससे भी जारी बापी पट्टा विलेख के कुट रचित होने का तथ्यांकंन होता है। जिसके लिए विपक्षी संख्या 1 के साथ–साथ विपक्षी संख्या 2 व 3 पूर्णरूप से दोषी रहे है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निगरानी निगरानीकार/ प्रार्थीगण पूर्ण रूप से सिद्व योग्य प्रतीत होती हैं

अतः निगरानी प्रार्थीगण/निगरानीकार स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा जारी बापी पट्टा विलेख क्रमांक 06 दिनांक 24.04.2016 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2017 को सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध किया गया।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़